रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2015/चैत्र 30, 1937
No. 821]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2015/CHAITRA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

का.आ. 1055(अ).– केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	सरकार के प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन विभाग तमिलनाडु सरकार ।	अध्यक्ष, पदेन
2.	नगर और ग्राम योजना आयुक्त, 807, अन्ना सलाई, चैन्नई-2 ।	सदस्य, पदेन
3.	मत्स्य आयुक्त, चैन्नई-6 ।	सदस्य, पदेन
4.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिंन्डी, चैन्नई-32 ।	सदस्य, पदेन
5.	सदस्य सचिव, चैन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इगमोर, चैन्नई-8 ।	सदस्य, पदेन
6.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, राजाजी भवन, बसंत नगर, चैन्नई-90 ।	सदस्य, पदेन
7.	डा. एस.एस. रामाकृणनन, निदेशक, दूर संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-25 ।	सदस्य, पदेन

8.	श्री बी. आर. सुब्रमणियम, परियोजना निदेशक और वैज्ञानिक 'जी' (सेवानिवृत्त), एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना निदेशालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कैंपस, वालाचैरी-तमबरम मुख्य रोड, पल्लीकरनैल, चैन्नई-600100 ।	सदस्य
9.	डा0 एम. रामालिंगम, निदेशक (सेवानिवृत्त), दूर संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-90 ।	सदस्य
10.	डा0 नेहरू कुमार वैथलिंगम, निदेशक, पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर--608 002, तमिलनाडू ।	सदस्य
11.	डा. जयश्री वेंकटेशन, प्रबंधक न्यासी, अर्थ केयर न्यास, पूर्व सं.8 / नई सं. 15, सेकेंड मेन रोड, थिलैगंगा नगर, चैन्नई - 600 061.	सदस्य
12.	पर्यावरण निदेशक, तमिलनाडु, सरकार, पैनागल बिल्डिंग, सैदापेट, चैन्नई-15.	सदस्य सचिव, पदेन

2. प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई होगी ।

4. किसी सदस्य, जो पदेन सदस्य से भिन्न है, को केंद्रीय सरकार द्वारा नियत सन्नियमों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

5. प्राधिकरण, तमिलनाडु राज्य के क्षेत्रों में समुद्र तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए तटीय विनियम जोन में निम्नलिखित उपायों को करेगा, अर्थात् :-

(i) प्राधिकरण, परियोजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, उसका परीक्षण करेगा यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में है और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), तटीय विनियम जोन की अपेक्षाओं को पूरा करता है, और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिट संबंधित प्राधिकारी को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिशें करेगा ;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिट तटीय जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन करने और मानीटर करने का प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा ;

(iv) प्राधिकरण, राज्य सरकार से तटीय विनियम जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तन या उपांतरण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को सिफारिशें करेगा ;

(v) प्राधिकरण निम्न करेगा-

(क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच और किसी विनिर्दिट मामले में, यदि आवश्यक हो,

उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जहां तक ऐसे निदेश जो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा उस विनिर्दिष्ट मामले में जारी किसी निदेश से असंगत नहीं है, जारी करना ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के अतिक्रमण को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन, और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों को अपनी टिप्पणी के साथ राट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के पुनर्विलोकन के लिए निर्दिष्ट करना :

परंतु ऐसी जांच और अतिक्रमण या उल्लंघन के मामले या तो स्वप्रेरणा से लिए जा सकेंगे या किसी व्यष्टि या किसी निकाय या किसी संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(vi) प्राधिकरण के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ।

(vii) प्राधिकरण का अपने समक्ष आए मामलों के तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

6. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित उक्त पर्यावरणीय विवाद्यकों को निपटाएगा जो उसे तमिलनाडु की राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।

7. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, अतिक्रमण, उल्लंघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा ।

8. प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

9. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी ।

[फा.सं.जे-17011/18/1996-आईए-III(भाग)]

बिश्वनाथ सिन्हा संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

S.O. 1055(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

1.	Principal Secretary to Government, Environment and Forests Department, Government of Tamil Nadu.	Chairman, ex-officio
2.	Commissioner of Town and Country Planning, Government of Tamil Nadu, 807, Anna Salai, Chennai-2.	Member,ex-officio
3.	Commissioner of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Chennai-6	Member,ex-officio
4.	Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Guindy, Chennai-32.	Member,ex-officio

5.	Member Secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, Egmore, Chennai-8.	Member,ex-officio
6.	Regional Director, Central Groundwater Board, Rajaji Bhawan, Besant Nagar, Chennai-90.	Member,ex-officio
7.	Dr. S. S. Ramakrishnan, Director, Institute of Remote Sensing Anna University, Chennai-25.	Member
8.	B. R. Subramanian, Project Director and Scientist 'G, (Retired) Integrated Coastal and Marine Area Management Project Directorate, Ministry of Earth Sciences, National Institute of Ocean Technology Campus, Velachery–Tambaram Main Road, Pallikaranai, Chennai-600100	Member
9.	Dr. M. Ramalingam, Director (Retired), Institute of Remote Sensing, Anna University, and Principal, Jerusalem College of Engineering, Pallikaranai Chennai-90.	Member
10.	Dr. Nehru Kumar Vaithilingam, Director, Centre for Environment, Health and Safety, Annamalai University, Annamalai Nagar-608 002, Tamil Nadu.	Member
11.	Dr. Jayshree Vencatesan, Managing Trustee, Care Earth Trust, Old No. 8/ New No. 15, 2nd Main Road, Thillaiganga Nagar, Chennai – 600 061	Member
12.	Director of Environment, Government of Tamil Nadu, Panagal Building, Saidapet, Chennai-15.	Member Secretary, ex-officio

2. The Authority shall have its headquarters at Chennai.
3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.
4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms fixed by the Central Government.
5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Tamil Nadu, take the following measures, namely:-

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and complies with the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall primarily be responsible for enforcing and monitoring the provisions of said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall-

(a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if necessary, in any specific case, issue such direction under section 5 of the said Act as are not inconsistent with the directions issued in that specific case either by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) hold review of cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made there under, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if necessary, refer such cases, along with its comments thereon for a review by the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that such inquiry or review of cases of violations or contraventions may be taken up by the Authority suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organization;

(vi) the Authority may file complaints under section 19 of the said Act against any person for non-compliance of directions issued by it;

(vii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall deal with environmental issues relating to the Coastal Regulation Zone that may be referred to it by the State Government or the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meetings, recommendations made by its, acts of violations and contravention and the actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

9. The powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

[F. No. J-17011/18/1996-IA-III (Pt.)]

BHISWANATH SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.